APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.... मुकाम ....कोटा....

....रायबा.... बनाम ....सरकार....

किस्म मुकदमा ....L.R. Act 136.... नं. ....86.... सन् ....2025....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/9/2025	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया रायबा उर्फ शमीम बानो की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 16/9/2025 को पेश हो।	
16/9/2025	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थीया रायबा उर्फ शमीम बानो की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया की आराजी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है जिसका खसरा नं0 893, 894, 1370, 1371 है जिसका नामान्तरण 1641, 2196, 2172 है जिसमें प्रार्थीया का नाम शमीन बानो दर्ज है जबकि प्रार्थीया के आधार कार्ड में नाम रायबा दर्ज है। प्रार्थीया राजस्व रेकार्ड में रायबा उर्फ शमीम बानो दर्ज करवाना चाहती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजों जमाबंदी, आधार कार्ड एवं बैक पासबूक का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया ने अपने कथनो के समर्थन में ग्राम मण्डाना के खाता संख्या 883 की जमाबंदी पेश की। प्रस्तुत जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम शमीम बानो उर्फ रायबा पुत्री जफरहुसैन दर्ज है। अतः जमाबंदी से स्पष्ट होता है कि शमीम बानो एवं रायबा दोनों एक ही महिला है। जिसकी शुद्धि किया जाना उचित है। उपरोक्तानुसार बाद विवेचन प्रार्थना पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जात है कि ग्राम मण्डाना के खाता संख्या 770 में शमीम बानो पुत्री जफरहुसैन के स्थान पर शमीम बानो उर्फ रायबा पुत्री ज़फरहुसैन दर्ज किया जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 16/9/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	